अपील क्रमांक 194/बो.प्र./नि.स./2024
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ट)
जल संसाधन विभाग,
शिवनाथ भवन, सेक्टर–19,
अटल नगर, नवा रायपुर

दिनांक /02/2024

अपील प्रकरण क्रमांक 194/बो.प्र./नि.स./2024

अपीलार्थी		**उत्तरवादी**
श्री पुरानिक राम निराला, ग्राम सोनापुटी, पो.ऑ. घुंचापाली, व्हाय–बागबाहरा, जिला महासमुन्द (छ.ग.) पिन 493449 मो.नं. 6267056248	**विरूद्ध**	श्री के.के. मितत्तल, जनसूचना अधिकारी,कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 16.02.2024

1. आवेदक/अपीलार्थी श्री पुरानिक राम निराला अनुपस्थित।
2. जनसूचना अधिकारी श्री के.के. मित्तल उपस्थित।
3. प्रकरण संक्षेप :–

(i) आवेदक/अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उप अभियंता (सिविल) से सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नत आदेश जारी किया गया है उक्त आदेश की सरल क्र. 08 एवं वरिष्ठता क्रमांक 352 का गोपनीय प्रतिवेदन वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 तथा 2018–19 की सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 03.10.2023 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो इस कार्यालय का आवक क्रमांक 940 दिनांक 09.10.2023 को प्राप्त हुआ।

(ii) जनसूचना अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत पत्र में उल्लेख किया गया है कि आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक 09.10.2023 को प्राप्त हुआ। वांछित जानकारी हेतु नस्ती स्थापना कक्ष को दिनांक 10.10.2023 को प्रस्तुत किया गया। नस्ती स्थापना कक्ष से दिनांक 17.10.2023 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि वांछित जानकारी छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर का परिपत्र क्रं. एफ 2–7/2006/1/6, दिनांक 29.03.2006 अनुसार डीपीसी की कार्यवाही में अन्य व्यक्तियों की व्यक्तिगत जानकारी होने से उनके प्रकटीकरण से तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धा स्थिति को नुकसान होगा। अतः प्रदाय किया जाना उचित नहीं होगा। उक्त टीप के आधार पर अपीलार्थी को कार्यालयीन पत्र क्र. 4112275/135/छ.ग./2023/9714, दिनांक 19.10.2023 को पंजीकृत डाक से पत्र द्वारा सूचित किया गया।

(iii) आवेदक/अपीलार्थी ने उल्लेख किया गया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा सही जानकारी नहीं दिये जाने के कारण आवेदक द्वारा असंतुष्ट होकर दिनांक 13.01.2024 द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस कार्यालय में दिनांक 23.01.2024 को प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्राप्त हुआ। प्रकरण की सुनवाई दिनांक 09.02.2024 को समय दोपहर 12.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में निर्धारित किया गया। इसमें उपस्थित होने बाबत् अपीलार्थी को सूचित किया गया। किन्तु आवेदक/अपीलार्थी दिनांक 09.02.2024 को सुनवाई में अनुपस्थित रहा। आवेदक/अपीलार्थी अनुपस्थित होने के कारण उन्हें एक अवसर दिया जाकर अगली सुनवाई दिनांक 16.02.2024 को निर्धारित की गई, जिसकी सूचना उन्हें दी गई।

4. सुनवाई दिनांक 16.02.2024 को आवेदक/अपीलार्थी अनुपस्थित रहा। अपीलार्थी द्वारा अपने अपीलीय प्रकरण में उल्लेख किया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा सही जानकारी नहीं दिये जाने के कारण प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया।

5. जनसूचना अधिकारी द्वारा आज दिनांक 16.02.2024 को सुनवाई में उपस्थित होकर बताया गया कि आवेदक/अपीलार्थी का आवेदन पत्र आवक क्र. 940, दिनांक 09.10.2023 को प्राप्त हुआ। वांछित जानकारी हेतु नस्ती स्थापना कक्ष को दिनांक 10.10.2023 को प्रस्तुत किया गया। नस्ती स्थापना कक्ष से दिनांक 17.10.2023 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि वांछित जानकारी छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर का परिपत्र क्रं. एफ 2–7/2006/1/6, दिनांक 29.03.2006 अनुसार डीपीसी की कार्यवाही में अन्य व्यक्तियों की व्यक्तिगत जानकारी होने से उनके प्रकटीकरण से तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धा स्थिति को नुकसान होगा। अतः प्रदाय किया जाना उचित नहीं होगा। उक्त टीप के आधार पर अपीलार्थी को कार्यालयीन पत्र क्र. 4112275/135/छ.ग./2023/9714, दिनांक 19.10.2023 को पंजीकृत डाक से पत्र द्वारा सूचित किया गया।

6. (i) जनसूचना अधिकारी ने नियत अवधि से पूर्व आवेदक/अपीलार्थी को विस्तृत रूप से सूचित किया था।

(ii) आवेदक/अपीलार्थी को यह स्पष्ट किया जा चुका था कि संबंधित कक्ष से प्राप्त टीप अनुसार कार्यालयीन पत्र क्र. 4112275/135/छ.ग./2023/9714, दिनांक 19.10.2023 द्वारा आवेदक/अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से सूचित किया गया।

(iii) आवेदक/अपीलार्थी ने जानकारी सही नहीं देने से असंतुष्ट होकर दिनांक 13.01.2024 द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया था, जो इस कार्यालय में दिनांक 23.01.2024 को प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्राप्त हुआ। प्रकरण की सुनवाई दिनांक 09.02.2024 को समय दोपहर 12.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में निर्धारित किया गया। जिसमें आवेदक/अपीलार्थी अनुपस्थित रहा। आवेदक/अपीलार्थी अनुपस्थित होने के कारण उन्हें एक अवसर दिया जाकर अगली सुनवाई दिनांक 16.02.2024 को निर्धारित की गई, जिसकी सूचना उन्हें दी गई। जिसमें आवेदक/अपीलार्थी अनुपस्थित रहा।

7. जनसूचना अधिकारी ने नियत समय सूचना, निर्धारित अवधि में दी थी। जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक/अपीलार्थी को संबंधित कक्ष से प्राप्त टीप अनुसार कार्यालयीन पत्र क्र. 4112275/135/छ.ग./2023/9714, दिनांक 19.10.2023 द्वारा वांछित जानकारी आवेदक/अपीलार्थी को पंजीकृत डाक द्वारा प्रदान किया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया गया कि जनसूचना अधिकारी ने नियमानुसार निर्धारित अवधि में कार्य किया है। अतः अपील निराकृत।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरूद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते है।

सही/-

(अरूण कुमार साय)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

G:\RTI\Apeel No. 194\letter-194.docx

पृ.क्रं./194/बो.प्र./नि.स./2024/1361 रायपुर, दिनांक 16/02/2024

प्रतिलिपिः—

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री के.के. मितत़ल, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. **श्री पुरानिक राम निराला**, ग्राम सोनापुटी, पो.ऑ. घुंचापाली, व्हाय–बागब़ाहरा, जिला महासमुन्द (छ.ग.) पिन 493449 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

16/02/24

(अरूण कुमार साय)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

G:\RTI\Apeel No. 194\letter-194.docx